सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

दर्ज तिथिः–25.01.2024

वाद संख्याः– 2024/05

1. नरेश कुमार पुत्र स्व. जोधाराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम खांसोली तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

–प्रतिवादी–

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री शिवगौतम सोलंकी
प्रतिवादीगणः– पैरोकार राज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 88
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

निर्णय

वादीगण की ओर से दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा 88 का पेश कर निवेदन किया कि संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या नया 360 खसरा संख्या 156/3.3260 हैक्ट. 169/0.5691 हैक्ट. कुल किता 2 कुल तादादी 3.8951 हैक्ट. एवं खाता संख्या 373 खसरा संख्या 255/3.0857 हैक्ट., 257/2.7064 हैक्ट., 387/1.3531 हैक्ट. कुल किता 03 कुल तादादी 7.1452 हैक्ट. वाके रोही खासोली पटवार मण्डल खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.) में स्थित चली आ रही है।

कृषि भूमि पर वादी की संयुक्त खातेदारी है। उक्त खातेदारी की भूमि पर वादी का कब्जा, काश्त चला आ रहा है जिसके प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 की प्रमाणित प्रतिलिपि दावा हाजा के साथ प्रस्तुत की जा रही है।

उक्त कृषि भूमि वादी के दादालाई है। वादी के पिता जोधाराम का स्वर्गवास होने के बाद उनका पैतृक इन्तकाल सुरेश के नाम से दर्ज हुआ तथा इस आधार पर गलत दर्ज हो गया। वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त कृषि भूमि गलत ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया जो आज तक गलत ही अंकित चला आ रहा है जिस कारण वादी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता इसलिए नाम दुरूस्त करवाने के लिए यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादी का नाम सुरेश [illegible] नाम नरेश कुमार पुत्र जोधाराम है एवं सुरेश पुत्र जोधाराम नाम की कोई अन्य सन्तान [illegible] ग्राम खांसोली में इस नाम का कोई अन्य पुरूष है बल्कि वादी का [illegible] जाति ब्राहमण निवासी खांसोली तहसील व जिला चूरू है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:17 IST
Reason: SelfAttested

वादी के पिता जोधाराम के फौत होने के बाद वादी के परिवार में लाड प्यार से कहने के कारण वादी का नाम सुरेश दर्ज हो गया था जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम सुरेश के स्थान पर नरेश कुमार दर्ज किया जावे।

वादी का सही नाम नरेश कुमार पुत्र स्व. जोधाराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम खांसोली तहसील व जिला चूरू है तथा इसके नाम के आधार कार्ड संख्या 4995 3017 9454, राशन कार्ड बार कोड संख्या 00775200460, पासपोर्ट संख्या N0256209 पैन कार्ड संख्या IZCPS0810M बैंक पास बुक बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या 662710110002763 व मतदाता पहचान कार्ड संख्या HDC1503416 आदि वैद्य दस्तावेज बने हुए हैं।

वादी ने जब हल्का पटवारी से सम्पर्क कर अपने खेत की के.सी.सी. बनाने हेतु सम्पर्क किया जो पता चला कि उसका नाम खातेदारी में गलती से सुरेश अंकित हो गया है जबकि प्रत्येक दस्तावेज में नाम नरेश कुमार है जिसे दुरूस्त कराने के लिए यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादी ने प्रतिवादी को कहा व कहलवाया कि वादी का नाम मूल दस्तावेज के आधार व अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में सही अंकन करवा देवें मगर प्रतिवादीगण टाल—मटोल करते रहे व आखिरकार दिनांक 14.01.2024 को प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ—साफ इन्कार कर दिया लिहाजा तारीख दिनांक 14.01.2024 से वादकारण तथा वाद—हेतुक वादी को भूमि मजकूर का खातेदार काश्तकार होने से प्राप्त हो गया है।

निवास स्थान फेरीकेन व वादग्रस्त कृषि भूमि जो कि कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू में अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इसलिए अदालतवाला को दावा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा दावा मुकर्रर शुदा कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वादी की ओर से दावा व मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा स्वीकार फरमाया जाकर वादी की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या नया 360 खसरा संख्या 156 / 3.3260 हैक्ट. 169 / 0.5691 हैक्ट. कुल किता 2 कुल तादादी 3.8951 हैक्ट. एवं खाता संख्या 373 खसरा संख्या 255 / 3.0857 हैक्ट., 257 / 2.7064 हैक्ट., 387 / 1.3531 हैक्ट. कुल किता 03 कुल तादादी 7.1452 हैक्ट. वाके रोही खासोली पटवार मण्डल खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.) में वादी का नाम सुरेश पुत्र जोधाराम के बजाय नरेश कुमार पुत्र जोधाराम दुरूस्त कर दर्ज फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम का अंकन करने का आदेश प्रदान किया जावे।

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादी की तलबी की गई प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से पैरोकार राज ने उपस्थित हुए। पैरोकार राज को हिदायत दी गई कि नाम दुरूस्ती बाबत सम्बन्धित भू—अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट लेकर प्रस्तुत करें जिस पर पैरोकार राज द्वारा भू.अ.नि. रतननगर व पटवारी हल्का खासोली से रिपोर्ट लेकर पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई। वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस के दौरान दावे में अंकित बिन्दओं को मात्र दोहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज नाम के कारण वादी को नापूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है। वादी का सही नाम दर्ज कर घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी को भी इस संबंध में कोई उज्र एतराज नहीं किया है।

प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से [illegible] किया गया कि रोही ग्राम खासोली की चालू जमाबन्दी के संख्या नया 360 खसरा संख्या 156 / [illegible]. 169 / 0.5691 हैक्ट. कुल किता 2 कुल तादादी 3.8951 हैक्ट. एवं खाता [illegible] 7 हैक्ट., 257 / 2.7064 हैक्ट.,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:17 IST
Reason: SelfAttested

387 / 1.3531 हैक्ट. कुल किता 03 कुल तादादी 7.1452 हैक्ट. वाके रोही खासोली पटवार मण्डल खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.) में सुरेश पुत्र जोधाराम हि. 1 / 10 खातेदार रिकॉर्ड दर्ज है।

दावा में आवेदित शुद्धि की प्रकृति की जांच तथ्य :

(A) बन्दोबस्त सर्वेक्षण से पूर्व / पश्चात की अशुद्धि नहीं है।

(B) खातेदार के नाम से संबंधित लिपिकीय त्रुटी नहीं है।

(C) खातेदार की वल्दियत / संरक्षक / पिता / माता से संबंधित लिपिकीय त्रुटी नहीं है।

(D) खातेदार की जाति से संबंधित लिपिकीय त्रुटी नहीं है।

(E) खातेदार की आराजी में रहन / बैंक रहन से संबंधित लिपिकीय त्रुटी नहीं है।

(F) खातेदार श्रेणी (खातेदार / गैर खातेदार / बकास्त / उपकृषक / शिकमी लिपिकीय त्रुटी नहीं है।

दावा में आवेदित शुद्धि के संबंध में अशुद्धि के कारण की साबिक रिकॉर्ड से जांच निम्न प्रकार है :—

प्रार्थी के नाम भूमि रोही ग्राम खासोली के वर्तमान खाता संख्या 307 व 373 में प्रार्थी के जोधाराम पुत्र इशरराम जाति ब्राहमण फौत होने पर विरासत नामा. सं. 282 व 283 दर्ज हुआ था जिसमें प्रार्थी का नाम सुरेश पुत्र जोधाराम जाति ब्रहामण दर्ज हुआ था नामा. की प्रति संलग्न है।

दावा में आवेदित शुद्धि के संबंध में विरासत तथा कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन के संबंध में दोहरेपन के प्रकरण संबंधित जांच निम्न प्रकार है :—

प्रार्थी के नाम भूमि नामा. सं. 282 व 283 के द्वारा दो खातों में विरासत नामा. दर्ज हुआ था दोनों खातों में प्रार्थी का नाम सुरेश पुत्र जोधाराम जाति ब्राहमण ही दर्ज हुआ था दोनों खातों के विरासत नामा. की नकल संलग्न है।

दावा आवेदित शुद्धि / तथ्यों की प्रासंगिक दस्तावेज (मतदाता पहचान पत्र , आधार कार्ड, अंकतालिका, मूलनिवास) के संबंध में जांच निम्न प्रकार है :—

प्रार्थी मौके पर नहीं मिला प्रार्थी विदेश गया हुआ बताया गया। मौके पर प्रार्थी की पत्नि मिली जिसने मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशनकार्ड, पैन कार्ड आदि दस्तावेज पेश किए जिसमें प्रार्थी का नाम नरेश कुमार शर्मा पुत्र जोधाराम शर्मा दर्ज है।

दावा में आवेदित तथ्यों / शुद्धि के संबंध में जमाबन्दी के अन्य खाता में समान खातेदार के राजस्व इन्द्राज के सन्दर्भ में जांच नहीं है।

दावा में आवेदित तथ्यों / शुद्धि के संबंध में मजमें आम / ग्राम सभा / मौतबिरान के समक्ष जांच पहचान या अन्य बिन्दुओं की जांच मय फर्द मौका संलग्न है।

मैंने प्रकरण में वादी के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया तहसीलदार चूरू की रिपोर्ट के अनुसार जमाबन्दी ग्राम गिनड़ी पट्टा राजपुरा के संख्या नया 360 खसरा संख्या 156 / 3.3260 हैक्ट. 169 / 0.5691 हैक्ट. कुल किता 2 कुल तादादी 3.8951 हैक्ट. एवं खाता संख्या 373 खसरा संख्या 255 / 3.0857 हैक्ट., 257 / 2.7064 हैक्ट., 387 / 1.3531 हैक्ट. कुल किता 03 कुल तादादी 7.1452 हैक्ट. वाके रोही खासोली पटवार मण्डल खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.) में प्रार्थी का नाम सुरेश कुमार पुत्र जोधाराम दर्ज है। जिनको वादी दुरूस्त करवाना चाहता है। वादी ने अपने दावा के समर्थन में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड की रसीद आदि [illegible] का सही नाम नरेश कुमार पुत्र जोधाराम अंकित है। दावा में प्रतिवादी की ओर [illegible] आपत्ति नहीं की गई है। पेश दावा व दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट होता [illegible] सुरेश कुमार गलत दर्ज चला आ रहा है जबकि वादी के समस्त [illegible] नरेश कुमार दर्ज है। पटवारी हल्का की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:17 IST
Reason: SelfAttested

रिपोर्ट में भी वादी का नाम सुरेश कुमार की बजाय नरेश कुमार एवं दोनों नाम का एक ही व्यक्ति होना बताया गया है। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज नाम में भिन्नता होने से वादी को कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। वादी वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है इसलिए उसे राजस्व रिकार्ड में अपने गलत दर्ज नाम को अपने दस्तावेजों के अनुरूप दुरूस्त करवाने का अधिकार है। वादी का नाम दुरूस्त किये जाने से भूमिधारी राज्य सरकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना भी परिलक्षित नहीं है। इस प्रकार वादी द्वारा पेश दस्तावेजों व शपथ पत्र से वादी का दावा उसके पक्ष में प्रमाणित होता है। इसलिए दावा वादी स्वीकार करने योग्य है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि कृषि भूमि संख्या नया 360 खसरा संख्या 156/3.3260 हैक्ट. 169/0.5691 हैक्ट. कुल किता 2 कुल तादादी 3.8951 हैक्ट. एवं खाता संख्या 373 खसरा संख्या 255/3.0857 हैक्ट., 257/2.7064 हैक्ट., 387/1.3531 हैक्ट. कुल किता 03 कुल तादादी 7.1452 हैक्ट. वाके रोही खासोली पटवार मण्डल खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.) 1/10 हिस्सा में अंकित वादी का नाम सुरेश कुमार पुत्र जोधाराम खातेदार के स्थान पर नरेश कुमार पुत्र जोधाराम खातेदार संशोधित करने का आदेश दिया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरुस्ती करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I) **RAS**
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:17 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार– I आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024/05 दर्ज तिथिः–25.01.2024

1. नरेश कुमार पुत्र स्व. जोधाराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम खांसोली तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

–प्रतिवादी–

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री शिवगौतम सोलंकी
प्रतिवादीगणः– पैरोकार राज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 88
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

–:पर्चा डिक्रीः–

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा– 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत घोषणात्मक के तहत स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है किः–

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं तहसीलदार, चूरू की अनुशंषा के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि संयुक्त आराजी संख्या नया 360 खसरा संख्या 156/3.3260 हैक्ट. 169/0.5691 हैक्ट. कुल किता 2 कुल तादादी 3.8951 हैक्ट. एवं खाता संख्या 373 खसरा संख्या 255/3.0857 हैक्ट., 257/2.7064 हैक्ट., 387/1.3531 हैक्ट. कुल किता 03 कुल तादादी 7.1452 हैक्ट. वाके रोही खासोली पटवार मण्डल खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.) जिसमें वादी का 1/10 हिस्सा वादी का नाम सुरेश कुमार पुत्र जोधाराम के स्थान पर नरेश कुमार पुत्र जोधाराम अंकित करने का आदेश दिया जाता है, शेष अंकन यथावत् रहेगा। भविष्य में उक्त नाम संशोधन बाबत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी वादी की रहेगी। तहसीलदार, चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 20 माह नवम्बर सन् 2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:17 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)